राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्र. प.10 (848) परि/स.सु./स.सु. सप्ताह 2020/2020/1858 दिनांकः 27/1/2020

1. **शासन सचिव,** चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. **शासन सचिव,** स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. **शासन सचिव,** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
संख्या 495
दिनांक 30/1/20

विषयः 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह (04.02.2020 से 10.02.2020) के आयोजन के संबंध में।

I. D. No. 64 /PS/CCE
Dated 31-1-20

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन दिनांक 04.02.2020 से दिनांक 10.02.2020 तक किया जाएगा जिसका विषय (थीम) “युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन/Bringing Change Through Youth Power” है।

सप्ताह के दौरान समस्त हितधारक विभागों, संस्थाओं व आमजन की सहभागिता से राज्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ/कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

कृपया इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने विभाग में समस्त गतिविधियाँ आयोजित कराना सुनिश्चित करावें एवं सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ दिनांक 20.02.2020 राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग के ईमेल आईडी addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन

<u>आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः प8(सडक सुरक्षा)अकाद/2015/II/500 दिनांकः 4 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही करवायें।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनकी डायरी संख्या 495 दिनांक 30.01.2020 के संदर्भ में।
3. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर। कृपया आयुक्तालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

31 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह (04.02.2020 से 10.02.2020)

विषय / **Theme**

"युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन"

"Bringing Change Through Youth Power"

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं आवश्यक दिशा निर्देश

1. सप्ताह के दौरान दिवसवार आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम / गतिविधियाँ

प्रथम दिवस (04.02.2020, मंगलवार)

गतिविधि	हितधारक विभाग
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्‌घाटन समारोहः • अतिथियों का स्वागत एवं उद्‌बोधन • सड़क सुरक्षा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा नृत्य, गीत, कविता पाठ, लघु नाटिका इत्यादि • सड़क सुरक्षा शपथ • सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एवं सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु पैदल रैली अथवा साइकिल रैली जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा गुड सेमेरिटन्स का चयन / चिन्हिकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ	परिवहन विभाग (समस्त हितधारक विभागों के सहयोग से)
बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अन्य गतिविधियाँ	समस्त हितधारक विभाग

लक्षित समूह

सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त हितधारक विभाग, परिवहन व्यवस्था से जुड़े विभाग यथा (राजस्थान पथ परिवहन निगम, जयपुर सिटी बस सर्विसेज़ लिमिटेड, जयपुर मैट्रो, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज), एन जी ओ, ऑटोमोबाइल डीलर्स, मोटर ड्राइविंग स्कूल्स, फिटनेस सेन्टर्स, पी यू सी सेन्टर्स, टायर डीलर्स, पेट्रोलियम डीलर्स, गैस एजेन्सीज़, टॉल प्लाज़ा, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि, एग्रीगेटर्स (ओला, ऊबर, रेपिडो), सेवा प्रदाता (स्विगी, ज़ोमेटो, अरबन क्लैप), टेलीकॉम कम्पनीज़ (एअरटेल, वोडाफोन, जिओ, बी एस एन एल, आइडिया इत्यादि), एसोसिएशन्स, यूनियन्स, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य, छात्र–छात्राएं, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी इत्यादि।

सप्तम (समापन) दिवस (10.02.2020, सोमवार)

गतिविधि	लक्षित समूह	हितधारक विभाग
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोहः • अतिथियों का स्वागत एवं उद्‌बोधन • सड़क सुरक्षा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा नृत्य, गीत, कविता पाठ, लघु नाटिका इत्यादि • संस्थाओं, बच्चों, कार्मिकों इत्यादि को प्रशस्ति पत्र / प्रमाण पत्र का वितरण • चयनित गुड सेमेरिटन का सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र वितरण • सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण एव धन्यवाद ज्ञापन	हितधारक विभाग, आमजन, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राएं, समस्त संस्थाएँ इत्यादि	परिवहन विभाग
बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अन्य गतिविधियाँ		समस्त हितधारक विभाग

2. सप्ताह पर्यन्त आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ (विभागवार)

शिक्षा विभाग

1) विद्यालय / महाविद्यालयों में गठित सड़क सुरक्षा क्लब के सहयोग से विभिन्न सड़क सुरक्षा गतिविधियों का आयोजन कराना

2) विद्यालय / महाविद्यालयों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएँ

- पोस्टर / पेंटिंग
- स्लोगन / जिंगल्स
- सड़क सुरक्षा क्विज़
- निबन्ध / कहानी लेखन
- वाद विवाद
- जिंगल्स

3) विद्यालय / महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं, शिक्षक, बाल वाहिनी चालकों हेतु विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन यथा

- सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण
- जीवन रक्षक प्रणाली एवं गुड सेमेरिटन दिशा निर्देश
- बाल वाहिनी दिशा निर्देश
- सुरक्षात्मक वाहन चालन

4) अन्डर एज ड्राइविंग पर लगाम लगाने एवं सुरक्षित एवं सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों हेतु अनिवार्य दिशा निर्देश जारी करना। बच्चों एवं

अभिभावकों को अन्डर एज ड्राइविंग के दुषपरिणाम हेतु जागरूक करना एवं इससे सबंधित विधिक जानकारी प्रदान करना

5) विद्यालय/महाविद्यालयों की बाल वाहिनीयों की सुरक्षा जाँच करना एवं पायी गयी कमियों को दुरूस्त करवाना

6) विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा समस्त शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ द्वारा यातयात नियमों की पालना यथा हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, नियत गति से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करना इत्यादि सुनिश्चित करना

7) प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सस्था की भीतरी/ बाहरी दीवार पर छात्र–छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित वाल पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित करवाना

परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस

1) बैनर/होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार

2) प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस आवेदकों/आगन्तुकों हेतु सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन

3) प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों, पुलिस थानों में गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों का अनिवार्य प्रदर्शन

4) राज्य के पेट्रोल पम्पस्, टॉल प्लाज़ाज़, सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि पर सड़क सुरक्षा एवं विशेष रूप से गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों का प्रदर्शन

5) विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन कराना

- सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण
- जीवन रक्षक प्रणाली एवं गुड सेमेरिटन दिशा निर्देश
- मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017
- ट्रेफिक कंट्रोल डिवाइसेज
- 5 की रिस्क फेक्टर्स एवं MVA 2019 हेतु क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ
- बाल वाहिनी दिशा निर्देश
- सुरक्षात्मक वाहन चालन
- विभिन्न इन्डस्ट्रियल एरियाज़ में वकर्स हेतु सड़क सुरक्षा कार्यशाला

6) समस्त प्रर्वतन एजेसियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लघंनकर्ताओं की समझाइश/काउसलिंग करना

7) यातायात नियमों का पालन करने वाले सड़क उपयोगकर्ताओं का प्रवर्तन कर्मिकों द्वारा फूल/बैच देकर सम्मान करना एवं आमजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनकी फोटो (यदि सड़क उपयोगकर्ता चाहे तो) सोशल मीडिया व प्रिन्ट मीडिया में प्रसारित करना

8) पी यू सी, बीमा, अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस, स्पीड गर्वनर, फिटनेस हेतु जन जागृति अभियान चलाना

9) नॉन मोटराइज्ड वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान चलाना

10) बाल वाहिनी चालकों, विद्यालय/महाविद्यालय संचालकों, अध्यापकों, अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं को बाल वाहिनी दिशा निर्देशों की पालना हेतु समझाइश

11) ओवरलोड/ओवरक्राउडिंग करने वाले वाहन चालकों को यातयात नियमों के पालन करने हेतु समझाइश एवं प्रवर्तन कार्य

12) ट्रक/बस चालकों आदि को स्वस्थ नशा मुक्त जीवन, सुरक्षात्मक चालन हेतु प्रेरित करना

13) छात्र–छात्राओं के सहयोग से परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित वाल पेंटिंग बनवाना एवं सर्वश्रेष्ठ कृति को पुरस्कृत करना

14) छात्र–छात्राओं को परिवहन कार्यालय एवं ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक का भ्रमण करवाना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1) राज्य के समस्त राजकीय/निजी चिकित्सालयों में गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों का अनिवार्य प्रदर्शन

2) फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग एवं गुड सेमेरिटन गाइड लाइन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन

सड़क संबंधी विभाग

1) समस्त विभागों द्वारा अपने कार्यालयों में सड़क सुरक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना

2) प्रत्येक दिवस अलग रोड स्ट्रेच पर रोड साइन, मार्किंग, सिग्नल्स एवं अन्य रोड फर्नीचर्स का मेंटेनेन्स कार्य करना

3) दृष्टि बाधित करने वाले सड़क किनारे उगे पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, अवैध पार्किंग एवं बाधाएँ हटाने हेतु समुचित कार्यवाही करना

4) बसावट वाली सड़कों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करना एवं खराब लाइटों को दुरूस्त करना

5) क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करना

6) मुख्य मार्गों से मिलने वाली छोटी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करना

7) अवैध कटों को बन्द करना

8) स्पीड लिमिट साइन बोर्ड की संख्या बढ़ाना

9) संस्थाओं की मदद से आवारा पशुओं के सींगो पर रिफलेक्टिव टेप लगाने का अभियान चलाना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सिटी बस सर्विसेज़ लि., जयपुर मैट्रो, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, भारतीय़ रेल

1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समस्त डिपो पर सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार

2) राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा भिजवाए गए होर्डिंग्स डिजाइन के होर्डिंग छपवा कर समस्त बस स्टैण्ड्स पर प्रदर्शित करवाना

3) सिटी बस सर्विसेज़ के समस्त बस शैल्टर्स में सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार

4) जयपुर मैट्रो के समस्त स्टेशन्स पर सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार

5) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के समस्त चालको को सड़क सुरक्षा एवं गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करना

6) समस्त रेलवे स्टेशन्स पर सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरेटिन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार

ऑटोमोबाइल डीलर्स, मोटर ड्राइविंग स्कूल्स, फिटनेस सेन्टर्स, टायर डीलर्स, पेट्रोलियम डीलर्स, गैस एजेन्सीज़, टॉल प्लाज़ा, एग्रीगेटर्स, सेवा प्रदाता (स्विगी, ज़ोमेटो, अरबन क्लैप), टेलीकॉम कम्पनीज़ तथा अन्य एसोसिएशन्स एवं यूनियन्स

1) समस्त ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा शोरूम एवं वर्कशॉप (रिसेप्शन अथवा वेटिंग एरिया में) रोड सेफ्टी कॉर्नर बनाना एवं गतिविधि की रिपोर्ट प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में प्रेषित करना

2) विभिन्न संस्थान, इन्डस्ट्रीज़ एवं सी एस आर का सहयोग प्राप्त कर व्यावसायिक वाहन चालकों की नेत्र जाँच एवं हैल्थ कैम्प का आयोजन कराना

3) नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन (सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स व्यस्त इलाकों एवं संस्थान इत्यादि में)

4) विभिन्न सेवा प्रदाता कम्पनी पर्सन्स गैस एजेन्सीज हॉकर, स्विगी, ज़ोमेटो, अरबन क्लैप से जुड़े सेवा प्रदाता, एग्रीगेटर टैक्सी सेवा (ओला, ऊबर व रेपिडो) से जुड़े सेवा कर्मियों हेतु सड़क सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन

5) टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को बल्क मैसेजिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी उपलबध करवाना

6) सड़क सुरक्षा से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ एवं प्रचार प्रसार करना

3. सड़क सुरक्षा सप्ताह हेतु फण्ड की व्यवस्था

1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु राशि रू 10.00 लाख एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु राशि रू 2.00 लाख अनुमोदित की गई है जिसका आवंटन गतिविधियों के आयोजन के पश्चात् वास्तविक खर्चों के आधार पर किया जाएगा। आदेश की प्रति संलग्न।

2) समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन कार्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से पूर्व में आवंटित राशि, यदि शेष हो तो, उसका भी इस्तेमाल सुनिश्चित करें।

4. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण बैठकें

1) समस्त जिलों में माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का अनिवार्य रूप से आयोजन (समिति का गठन आदेश संलग्न)

2) समस्त जिलों में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित बाल वाहिनी संयोजन समिति की बैठक आयोजित करना एवं जिले में संचालित समस्त बाल वाहिनीयों पर चाइल्ड हैल्पलाईन न. 1098 का स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित करना

5. सड़क सुरक्षा सप्ताह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1) सड़क सुरक्षा गतिविधियों के सफल आयोजन हेतु विभिन्न हितधारक विभागों, संस्थाओं यथा गैर लाभकारी संस्थान, ऑटोमोबाइल डीलर्स, टायर डीलर्स, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टॉल प्लाज़ाज़, पेट्रोल पंप संचालक, मीडिया, इन्डस्ट्रीज़, यूनियन्स एवं एसोसिएशन्स इत्यादी की भागीदारी सुनिश्चित करावें।

2) राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा समस्त जिलों को भिजवाए गए होर्डिंग्स, बैनर के डिज़ाइन को प्रिन्ट करवा कर समस्त जिले में सड़क सुरक्षा का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

3) प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन मुख्यालय द्वारा प्रेषित की गई अनुमोदित आई ई सी (प्रचार प्रसार) सामग्री की डिज़ाइन समस्त हितधारक विभागों को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य में एक समान प्रचार प्रसार संभव हो सके।

4) प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियों में राजस्थान रोड सेक्टर मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किए गए स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

5) समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें की सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभाग में आने जाने वाले समस्त कर्मचारी हैलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें एवं सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

6) समस्त हितधारक विभाग सड़क सप्ताह के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में आवश्यक रूप से 3 कार्य दिवस में प्रेषित करने का श्रम करें।

7) समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय सड़क सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से 7 कार्य दिवस में राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ईमेल addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in एवं स्पाइरल बाइंड हार्ड कॉपी भिजवाने का श्रम करें।